

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	श्रीमती समता डूंगरवाल शारीरिक शिक्षक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नपानिया, भदोसर जिला चित्तौड़गढ़।	01.03.1974	सिंगापुर एवं इण्डोनेशिया दि० 15.01.2020 से 22.01.2020 तक (08 दिवस)
2	श्रीमती कल्पना पाटिल शारीरिक शिक्षक	राबाउमावि कोथून, चाकसू जयपुर	18.02.1962	दुबई(यू.ए.ई) दि० 06.02.2020 से 18.02.2020 तक (13 दिवस)
3	श्रीमती निर्मला भगतानी अध्यापक	राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय खारी कुई अजमेर।	23.09.1963	दुबई (यू.ए.ई) दि० 01.02.2020 से 10.02.2020 तक (10 दिवस)
4	श्री सत्यनाराण नागर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)	रामावि गढवाडा चित्तौड़गढ़	08.12.1968	रंगपुर (बांग्लादेश) दि० 06.01.2020 से 16.01.2020 तक (11 दिवस)
5	श्रीमती सीता छीपा वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)	राउमावि रानीखेडा चित्तौड़गढ़	05.05.1975	रंगपुर(बांग्लादेश) दि० 15.01.2020 से 22.01.2020 तक (08 दिवस)
6	श्रीमती शाहिदा बानो अध्यापक(लेवल-1)	रामावि जिलावडा अजमेर	04.12.1967	मक्का-मदीना (सऊदी अरब) दि० 30.12.2019 से 13.01.2020 तक (15 दिवस)

शर्तें :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
 - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।
यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/वो-8/2019 /137

दिनांक-08-01-2020

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौड़गढ़/जयपुर/अजमेर।
- 2- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
- 3- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 4- रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)